ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-7* August- 2017
Innovation The Research Concept

भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में जी.एस.टी. का महत्व

सारांश

जी एस टी पर कई वर्षो तक बहस चली और आज जी एस टी लागू होने के बाद भी चारों ओर से व्यावहारिक प्रतिक्रियाए मिल रही है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, एसोचैम के अध्यक्ष सुनिल कनोडिया, डेलॉयट के सीनियर डायरेक्टर एम एस मणि, सी पी आर के सीनियर फेलौ राजीव कुमार के विचार विषय पर प्रर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

जी एस टी से जहॉ भष्ट्राचार में कमी आयेगी वही लालफीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढेगी।

मुख्य शब्द : जी एस टी, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैट,एक्साइज और सर्विस टैक्स।

प्रमोद कुमार
व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
जी० एच० एस० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सुजानगढ़, चुरु, राजस्थान

प्रस्तावना

जीएसटी पर कई वर्षों तक चली बहस चली। गुड्स और सर्विस टैक्स या वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के हर पहलू पर चर्चा हुई। पक्ष–विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए गए। आखिरकार 3 अगस्त, 2016 को जीएसटी से जुड़े संविधान (संशोधन) विधेयक ने राज्यसभा की बाधा भी पार कर ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी बयान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीएसटी से सम्बद्व आईटी प्रणालियों की साइबर सुरक्षा पर अधिकतम ध्यान दिया जाए। कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से इसके कार्यान्वयन को लेकर आईटी तैयारी, मानव संसाधन तैयारी, प्रशिक्षण व अधिकारियों में सुरक्षा तथा निगरानी आदि पहलुओं पर ध्यान दिया, सूचना,सुरक्षा प्रणालियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

अध्ययन के उद्देश्य

भारतीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने के संदर्भ में एक विश्लेषण।

जीएसटी के लागू होने से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लग रहा है। यानी वैट,एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लग रहा है। आम भारतवासी को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, पूरे देश में सामान पर कि पूरे देश मे सामान पर देश के लोगों को एक ही टैक्स चुकाना है। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही है। भूतकाल में वस्तुओं पर भिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाली एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है।

क्या आपने कभी सोचा है कि जो सामान आप खरीदते थे, उस पर आप कितना टैक्स भरते थे। और कितने तरह के टैक्स भरते थे। शायद आप नहीं जानते है। जानेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। आप तक पहुंचने से पहले सामान पहले फैक्ट्री में बनता था। फैक्ट्री से निकलते ही इस पर सबसे पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी । कई मामलों में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। इसके अलावा आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा होता था सर्विस टैक्स। अगर रेस्तरां में खाना खाते थे, मोबाइल बिल मिलता था या क्रेडिट कार्ड का बिल आता था, तो हर जगह ये लगाया जाता था जो 14.5 फीसदी तक होता था।

जैसे ही सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो सबसे पहले देना होता था एंट्री टैक्स। इसके अलावा अलग–अलग मामलों में अलग–अलग सेस भी लगता था। एंट्री टैक्स के बाद उस राज्य में वैट यानी सेल्स टैंक्स लगता था । जो अलग–अलग राज्य में अलग–अलग होता था। इसके अलावा अगर इन सामान का नाता रिश्ता अगर एंटरटेनमेंट से था, तो एंटरटेनमेंट या लग्जरी टैक्स भी लगता था। साथ ही कई मामलों में परचेज टैक्स भी देना होता था।

टैक्स का सिलसिला यहीं नही रूकता। अभी तो हमने सिर्फ वो टैक्स बताएं है, जो बडे–बडे. थे। बल्कि कई टैक्स तो ऐसे थे जो हमने गिनाए ही नहीं। एक रिपार्ट के मुताबिक अलग–अलग 18 टैक्स आमतौर पर लगते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद ही ये सारे टैक्स एक झटके में खत्म हो गये। और इसकी जगह लग रहा था सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।

अब आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ टैक्स की संख्या कम हुई या टैक्स भी कम हुआ। सरकार ने पिछले दिनों एक रिपोंर्ट तैयार कराई, उसमें कहा गया था कि अभी औसतन 24 फीसदी टैक्स सामान पर लगता था। लेकिन जीएसटी के बाद अगर स्टैंडर्ड रेट लगाएं तो ये 17–18 फीसदी रह गया। हुई ना काम की बात।

जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता हुआ और क्या मंहगा। ये तो तब फाइनल हो गया, जब सरकार ने यह तय कर दिया कि किस सामान पर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें क्या होगी।

इतना ही नही आप अभी कंपनियों के भारी भरकम डिस्काउंट का जितना फायदा उठाते थे, जीएसटी लागू होने के बाद उतना फायदा नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती थी उस पर टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी के तहत छूट के बाद की कीमत पर नहीं बल्कि एमआरपी पर टैक्स लग रहा है।

मसलन, अगर 10000रूपये का सामान कंपनी आपको 5000 रूपये में देती थी ता आपको करीब 600 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 1200 रूपये टैक्स चुकाना पड़ रहा है।

अब बारी है सस्ते सामानों की। अगर आप छोटी कारें या फिर मिनी एसयूवी खरीदना चाहते थे, तो बता दें कि जीएसटी लागू होने के साथ ये 45000 रूपये तक सस्ती हुई। क्योंकि इन गाड़ियों पर कुल 30–44 फीसदी तक टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी के तहत इन पर स्टैंडर्ड रेट 18 फीसदी टैक्स लग रहा है। रेस्तरां का बिल भी कम हो गया। क्योंकि अभी रेस्तरां में वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता था। लेकिन जीएसटी के तहत सिर्फ एक टैक्स लगता है।

इसी तरह घर खरीदना या फिर ऐसा कोई दूसरा लेनदेन करना, जंहा वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे, जीएसटी लगने के बाद ये सस्ते हो गये। एयरकंडीशन, पंखे, माइक्रोवेव ओवन, फ्रीज, वाशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सस्ते हो गयें। क्योकि इन पर सामान्य तौर पर 12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जबकि 14.5 फीसदी तक वैट लगता था, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक टैक्स 17–18 फीसदी लग रहा है। हालांकि किस सामान पर कितना टैक्स लगाया जाएगा ये फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। जिसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और इस पर अभी लंबी चौडी बहस होना बाकी है।

इससे केन्द्र एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गयी है जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।

1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एंव राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग अलग कर लगते थे, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगाया जा रहा है, पूर्व में किसी भी सामान पर 30 से 35% तक कर देना पड़ता था, कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला कर 50% से ज्यादा होता था जीएसटी आने के बाद यह कर अधिकतम 28 प्रतिशत हो गया है, जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। भारतवासी 17 अलग अलग तरह के कर चुकाते थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर रह गया है। एक्साइज डयूटी, सर्विस टैक्स, वैट,मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो गए है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान और सेवा पर कर वह लगेगा जहां वह बिकेगा। जीएसटी अलग अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज डयूटी,सर्विस कर इत्यादि की जगह अब केवल जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडक्टस पर टैक्स की दरें घटायी है।

सभी तरह की चीजों के लिए जीएसटी रेट तय किए जा चुके हैं,लेकिन सोने की रेट बाद में तय की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी वस्तुओं को टैक्स स्लैब में फिट करने के बाद गुंजाइश को देखते हुए सोने पर बाद में फैसला किया जाएगा। जीएसटी रेट पर सहमति बनने के बाद वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 12 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब में और चीजें जुड़ेगी। 28 फीसदी के स्लैब पर और चर्चा होगी। लग्जरी आइटमस पर सेस लगाने की चर्चा हुई है और सोने पर स्लैब खुला है। शराब,लग्जरी कारें और तंबाकू के लिए सेस आगे तय होगा। राज्य व केन्द्र मिलकर सेस तय करेगें।

वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो भागो में विभाजित है–

1. प्रत्यक्ष ।
2. अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा करा सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है,बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च करना होता है।

यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए वह अपने ग्राहक को देयता दे देता है जिसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है लेन – देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक की देयता को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जीएसटी के रेट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन का कहना है कि जो रेट तय हुए हैं, उससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। प्रोडक्ट पर सेस लगने से चीजें महंगी नही होगी और कमिटी की बैठक के बाद ही सोने पर टैक्स तय होगा एक्सपर्ट वेद जैन ने कहा है कि सेस पर सफाई की जरूरत है और नए सेस की प्रणाली से जीएसटी का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोडिया ने जीएसटी के रेट्स पर खूशी जाहिर की है लेकिन सेस पर उन्होंने निराशा जताई है। उन्होने कहा है कि सेस की राशि का भविष्य में घटने की संभावना कम है। हालांकि जानकार जीएसटी दरों से खुश नहीं है। डेलॉयट के सीनियर डायरेक्टर एम.एस. मणि ने कहा था कि इन दरों को देखकर ऐसा नही लगता कि हम एक देश एक टैक्स युग में जा रहे है। सीपीआर सीनियर फेलो राजीव कुमार का कहना है कि जीएसटी की रेट्स से इंडस्ट्री खुश है। सोने पर सरकार को जल्द ही अपना कदम तय करना चाहिए। हांलाकि जीएसटी बिल में सेस लगाने की बात से नाराजगी है। सेस लगाना पूरी तरह गलत है। सरकार जीएसटी स्लैब को विभाजित कर के बताए। इसके साथ ही सरकार को रजिस्ट्रेशन पर रोडमैप जारी करने की जरूरत है।

क्या हुआ सस्ते और महंगें

जीएसटी की दरों में सहमति बनने और लागु होने के बाद अब मुमकिन है कि आगामी भविष्य में टेलीविजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, परफ्यूम, शैंपू, क्रीम, हेयर ऑयल और साबुन सस्ते हो जाएंगें। वहीं सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, गुटखा, और लक्जरी कारों की कीमतों में बढोतरी देखने को मिलेगी।

जीएसटी के फायदे

जीएसटी मौजूदा टैक्स ढांचे की तरह कई जगहों पर न लग कर सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगेगा। भूतकाल की व्यवस्था के मुताबिक किसी सामान पर फैक्ट्री से निकलते समय टैक्स लगता था और फिर रीटेल पॉइंट पर भी जब वह बिकता था, तो वहां भी उस पर टैक्स जोड़ा जाता था। टैक्सेशन के जानकारों का मानना है कि टैक्सेशन के नए सिस्टम से जहां भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वहीं लालफीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सरकार को फायदे

जीएसटी के तहत टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और टैक्स बैस बढ़ेगा। इसके दायरे से बहुत कम सामान और सेवाऐं बच पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद एक्सपोर्ट, रोजगार और आर्थिक विकास में जो बढ़ोतरी होगी, उससे देश को सालाना अरबों रूपये की आमदनी होगी।

आम आदमी को फायदे

जीएसटी सिस्टम में केंद्र और राज्यों, दोनों के टैक्स सिर्फ बिक्री के समय वसूले जाएगें। साथ ही ये दोनों ही टैक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आधार पर तय होंगे। इससे सामान और सेवाओं के दाम कम होंगे और आम कन्जयूमर को फायदा होगा।

वस्तु एवं सेवा कर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले बहु–स्तरीय करों में फंसी हुई है, जैसे आबकारी कर, चुंगी केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और मूल्य वर्धित कर इत्यादि। जीएसटी में ये सभी कर एक एकल शासन के तहत सम्मिलित हो गये है।

जीएसटी के अंतर्गत तीन प्रकार के अलग अलग कर लगाये गए हैं। राज्य के अन्तर्गत की गयी सप्लाई पर केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाया गया है तथा राज्य के बाहर की गयी सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया गया है।

यदि इसे अपनाया गया, तो जीएसटी विसंगतियों को दूर करके कर प्रशासन को अत्यंत सरल बना देगा। केंद्र और राज्य वस्तुओं और सेवाओं पर समान दरों पर कर अधिरोपित करेंगे। उदाहणार्थ, यदि किसी वस्तु पर 20 प्रतिशत मान्य दर है, तो केंद्र और राज्य दोनों 10–10 प्रतिशत कर संग्रहित करेंगे। आगम को वित्त आयोग द्वारा सुझाये गए न्यागमन सूत्र के अनुसार साझा किया जायेगा।

जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू हुआ

व्यक्तियों में शामिल हैं– व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं हुआ।

कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु–अभिजनन क्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है।

1. माल/सेवाओं की अंतर–राज्य आपूर्ति करने वाले।
2. कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल/सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमे व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
3. कोई भी व्यक्ति जो माल/सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं

है– जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।

4. रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को। रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान/सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पडता है।
5. एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की और से आपूर्ति करता है।
6. वितरक या इनपुट सेवा वितरक। इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता हैं।
7. ई–कॉमर्स ऑपरेटर (इ–व्यवसाय)
8. ई–कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाऐ को छोडकर)
9. एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है।
10. भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुर्नप्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)।
11. कुछ वर्ष बाद पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाएंगे। अभी राज्य अपनी इच्छानुसार उन पर टैक्स लगा सकेंगे। इस बैठक में राज्यों ने नरमी दिखाते हुए जीएसटी लागू होने के बाद प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) को खत्म करने को लेकर भी रजामंदी जताई थी।

जीएसटी दरें

जीएसटी काउंसिल ने चार तरह के कर निर्धारित किये है ये 5,12,18 एवं 28 प्रतिशत। हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नही लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आऐंगी। आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिएँ, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारम्भ में 4 दरे निर्धारित की गई ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अन्तर न पड़े। ये चार दरें 5%,12 %,18% तथा 28% है। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिन्दी, सिन्दूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 20 लाख से कम की वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर व्यवस्था में छूट दी गई है।

निष्कर्ष

आगामी भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग अगले दो वर्षो के बाद जी.एस.टी.से होने वाले असर को हम महसूस कर पायेगें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *एनडीटीवी. जीएसटी लागू 12 जुलाई, 2017*
2. *मनीकंट्रोल.कॉम 19जुलाई, 2017*
3. *नवभारत टाईम्स. जीएसटी लागू 12जुलाई, 2017*
4. *एनडीटीवी. जीएसटी लागू 15जुलाई, 2017*
5. *नवभारत टाईम्स. जीएसटी लागू होने के बाद भी ई कॉमर्स साइटस पर मिल रहा 80 तक डिस्काउंट. अभिगमन तिथि 17 जुलाई, 2017*
6. *एनडीटीवी. जीएसटी लागू बचे माल पर नई कीमत नहीं छापी तो जेल की हवा खानी पड. सकती है। रिपोर्ट. अभिगमन तिथि 17जुलाई, 2017*
7. *जीएसटी टाटा मोटर्स ने 2,17,000 रूपये तक घटाये वाहनो के दाम. अभिगमन तिथि 27जुलाई, 2017*